भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4409

02.04.2026 को उत्तर के लिए

वनों की कटाई के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रभाव

4409 श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में विशेषकर छत्तीसगढ़ में वनों की कटाई की दर के संबंध में कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने पारंपरिक वनवासियों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की निगरानी हेतु कोई अध्ययन कराया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा आर्थिक विकास को जलवायु लक्ष्यों के साथ संतुलित करने के लिए, विशेषकर कोयले पर निर्भरता तथा बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) वनों का संरक्षण एवं प्रबंधन मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का दायित्व है। देश में वन संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए कानूनी ढाँचे मौजूद हैं, जिनमें भारतीय वन अधिनियम 1927, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980, तथा राज्य वन अधिनियम, वृक्ष संरक्षण अधिनियम एवं नियम आदि शामिल हैं। राज्य सरकारें एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इन अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के तहत वन एवं वृक्ष संसाधनों के संरक्षण और वनों की कटाई से निपटने के लिए उचित कार्रवाई करते हैं।

भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून, जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन है, देश के वन और वृक्ष आवरण का आकलन द्विवार्षिक रूप से करता है और इसके निष्कर्ष भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) में प्रकाशित किए जाते हैं। वन आवरण आकलन एक व्यापक

मानचित्रण प्रक्रिया है जो रिमोट सेंसिंग पर आधारित है और गहन जमीनी सत्यापन एवं राष्ट्रीय वन सूची से प्राप्त क्षेत्र डेटा द्वारा समर्थित है।

आईएसएफआर 2023 के अनुसार, वन और वृक्ष आवरण 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर है जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है। आईएसएफआर 2021 के पिछले मूल्यांकन की तुलना में, नवीनतम आईएसएफआर 2023 के अनुसार, देश के कुल वन और वृक्ष आवरण में 1,445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। आईएसएफआर 2023 के अनुसार, छत्तीसगढ़ का वन आवरण 55,811.75 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 41.28% है। इसके अलावा, आईएसएफआर 2021 की तुलना में राज्य में वन और वृक्ष आवरण में लगभग 684 वर्ग किलोमीटर की निवल वृद्धि दर्ज की गई है।

(ख) भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना (एनएपीसीसी) तैयार की है, जिसमें विशिष्ट क्षेत्रों में मिशन शामिल हैं। एनएपीसीसी के अंतर्गत नौ मिशनों में से छह जल, पर्यावास, कृषि, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र, मानव स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन के रणनीतिक ज्ञान के क्षेत्र में अनुकूलन पर केंद्रित हैं। ये सभी मिशन जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और संबंधित नोडल मंत्रालयों/विभागों द्वारा संस्थागत रूप से कार्यान्वित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, चौंतीस राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने जलवायु परिवर्तन पर अपनी-अपनी राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी) तैयार की हैं। एसएपीसीसी को संदर्भ-विशिष्ट बनाया गया है और इनमें प्रत्येक राज्य की विभिन्न पारिस्थितिकी, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुकूलन रणनीतियाँ प्रदान की गई हैं।

(ग) भारत सरकार राष्ट्रीय परिस्थितियों और संधारणीय विकास के लिए प्राथमिकताओं पर सावधानीपूर्वक विचार करते हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और पेरिस समझौते के तहत निर्धारित लक्ष्यों के साथ आर्थिक विकास को संतुलित कर रही है।

इसका उद्देश्य, अन्य बातों के अलावा, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, अनुकूलन क्षमता बढ़ाकर जलवायु प्रभावों के प्रति संवेदनशीलता को कम करना और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता को धीरे-धीरे घटाना है। ऊर्जा दक्षता में सुधार और स्वच्छ ऊर्जा तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए गए हैं। देश ने अपने अद्यतन एनडीसी में निर्धारित लक्ष्य से आगे बढ़कर, अपनी स्थापित विद्युत क्षमता का लगभग 50% गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त कर लिया है। कम कार्बन विकास के लिए अन्य क्षेत्रीय प्रयासों के साथ-साथ, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, सौर, पवन और परमाणु ऊर्जा का विस्तार जैसी पहलें, सरकार की उच्च आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने और कम कार्बन, जलवायु-अनुकूल विकास पथ की ओर बढ़ने की रणनीति को दर्शाते हैं।

****